Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.

Jamabandi Sudhar Revision No.- 210/2022

Md. Israil ..... Petitioner.

Versus

The State of Bihar & Ors ..... Opposite Parties.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	15.09.2023	**आदेश** प्रस्तुत जमाबंदी सुधार पुनरीक्षण वाद न्यायालय, समाहर्त्ता, कटिहार द्वारा जमाबंदी सुधार अपील वाद सं0–493/2021–22 में दिनांक–06.09.2022 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। उभय पक्षों को सुना। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा–सुखासन, थाना सं0–168, थाना–बरारी, खाता सं0–133, खेसरा सं0–2868, रकवा–5.08 एकड़ एवं खेसरा सं0–3038, रकवा–0.39 एकड़, कुल रकवा–05.47 एकड़ प्रश्नगत भूमि है। आवेदक और विपक्षी सं0–02 के पिता–मो0 अली द्वारा सर्वे के पूर्व अपने पुत्रों के नाम कई भूमि अर्जित की थी। मो0 अली को पाँच पुत्र यथा– 1. मो0 इब्राहिम (मृत) 2. मो0 इसहाक 3. मो0 इसमाईल (विपक्षी सं0–02) 4. मो0 इसराईल (आवेदक) एवं 5. मो0 युनूस थे, जिन्होंने बरारी एवं मनिहारी अंचल के विभिन्न मौजा में अपनी पुत्री के नाम भूमि अर्जित की थी। उनके द्वारा अर्जित भूमि सर्वे के दौरान प्रत्येक पुत्रों के नाम खतियान दर्ज हुआ जिसमें प्रश्नगत भूमि आवेदक के नाम दर्ज है। उक्त भूमि के L.P.C. के आधार पर आवेदक द्वारा सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, शाखा–सुखासन से ट्रैक्टर लोन लिया गया। विपक्षी सं0–02 द्वारा अंचल अमला को मेल में लेकर पंजी में छेड़छाड़ करते हुए अपना नाम बना लिया तथा जमाबंदी भी दर्ज करा ली। इसके बाद उनके द्वारा जाली बँटवारा के आधार पर अपने पुत्र एवं पुत्रियों के नाम नामांतरण वाद सं0–543/2014–15 द्वारा नामांतरण करा लिया गया। इसके विरूद्ध भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, कटिहार के समक्ष नामांतरण अपील सं0–1127/2017–18 दायर किया गया जिसे खारिज कर दिया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अपर समाहर्त्ता, कटिहार के समक्ष नामांतरण पुनरीक्षण वाद सं0–230/2019 दायर किया, जिसे उभय पक्षों को सुनने के बाद स्वीकृत किया गया। विपक्षी द्वारा अपने नाम जमाबंदी दर्ज करा लेने के विरूद्ध इनके द्वारा अपर समाहर्त्ता, कटिहार के समक्ष जमाबंदी सुधार वाद सं0–206/2017 दायर किया गया जिसमें उभय पक्षों की सुनवाई करते हुए इनके पक्ष में आदेश पारित किया गया। विपक्षी द्वितीय पक्ष द्वारा प्रश्नगत भूमि	

Web Copy. Not Official.

		से संबंधित सब जज, कटिहार के समक्ष Title Suit No.-70/2021 तथा न्यायाधिकरण, पटना के समक्ष B.L.T. Case No.-372/2021 दायर किया गया। अपर समाहर्त्ता, कटिहार के आदेश के विरूद्ध विपक्षी द्वारा समाहर्त्ता, कटिहार क्रमशः के समक्ष उक्त अपील दायर किया गया जिससे इनके विरूद्ध आदेश पारित हुआ। इनका आगे कथन है कि निम्न न्यायालय आदेश तथ्यों से परे एवं अवैध है। आवेदक प्रश्नगत भूमि पर लंबे समय से दखलकार रहे थे तथा उनके नाम भू–लगान भुगतान किया जा रहा था। विपक्षी द्वारा इनके नाम दर्ज जमाबंदी में हस्तकौशल करते हुए पंजी–II में छेड़छाड़ किया गया है। आपसी खानगी बँटवारे के अनुसार सभी के नाम सर्वे खतियान दर्ज है। आवेदक की ओर से दाखिल कागजातों की अनदेखी करते हुए आदेश पारित किया गया है। इतने पुराने जमाबंदी को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। निम्न न्यायालय आदेश मनमना एवं अवैध है। इस प्रकार इनकी ओर से पुनरीक्षण वाद स्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है। दूसरी तरफ विपक्षी द्वितीय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रस्तुत पुनरीक्षण वाद तथ्यों के आधार पर पोषणीय नहीं है। प्रश्नगत भूमि मूलतः हाजी शेख अब्दुल हकीम, मनिहारी के नाम दर्ज थी जिसका C.S. खाता सं0–01, खेसरा सं0–696 तथा खाता सं0–130, खेसरा सं0–716 था। उक्त भूमि खतियानी रैयत द्वारा वर्ष 1953 में शेख मो0 इस्माईल (विपक्षी सं0–02) के पास बिक्री कर दी गई। क्रय पश्चात् ये दखलकार हुए तथा R.S. सर्वे में इनके नाम खतियान दर्ज होकर खाता सं0–133, खेसरा सं0–2868 तथा 3038 में परिवर्तित हुआ। इनके पक्ष में जमाबंदी दर्ज होते हुए अद्यतन भू–लगान भुगतान किया जा रहा है। कालान्तर में उक्त भूमि क्रेता एवं खतियानी रैयतों के वारिसानों के बीच बँटवारे के आधार पर उनके नाम से जमाबंदी सृजित हुई। आवेदक, जो इनके सगे भाई हैं उन्हें इस भूमि से कोई लेना–देना नहीं है। किन्तु उनके द्वारा खानगी बँटवारे के आधार पर गलत रूप से दावा किया जा रहा। कार्यालय को मेल में लेकर आवेदक द्वारा जमाबंदी पंजी में छेड़छाड़ करते हुए अपना नाम दर्ज कराने में सफल हो गये। यदि उक्त भूमि पिता मो0 अली द्वारा अर्जित थी तो विपक्षी के नाम विक्रय संलेख नहीं होना चाहिए था और यदि प्रश्नगत भूमि संयुक्त संपत्ति होती तो मात्र विपक्षी सं0–02 का नाम खतियान में दर्ज नहीं होना चाहिए था। आवेदक को खतियान की प्रविष्टि के विरूद्ध आपत्ति किये जाने का पूर्ण अधिकार था, किन्तु निर्धारित अवधि में उनके द्वारा खतियान प्रविष्टि के विरूद्ध कोई प्रतिवाद दायर नहीं किया गया। रिविजनल सर्वे के अंतिम प्रकाशन के लगभग 60–65 वर्षों बाद आवेदक द्वारा जमाबंदी सुधार वाद दायर करना विधिसम्मत् एवं न्यायोचित नहीं है। खतियान की प्रविष्टि को रद्द अथवा संशोधित करना राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार से	
	लगातार 15.09.2023		

Web Copy Not Official.

		परे है। समाहर्त्ता, कटिहार द्वारा सभी तथ्यों एवं दस्तावेजों के अवलोकनोपरांत आदेश पारित किया गया है। इस प्रकार इनकी ओर से प्रस्तुत पुनरीक्षण वाद को अस्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है। उभय पक्षों को सुनने, निम्न न्यायालय आदेश तथा अभिलेख में संलग्न सुसंगत सभी कागजातों के अवलोकन तथा समीक्षोपरांत यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि पर उभय पक्षों द्वारा खतियान के आधार पर अपना दावा किया जा रहा है। जबकि विपक्षी द्वितीय पक्ष द्वारा प्रश्नगत भूमि पर प्राप्त केवाला एवं क्रमशः	
	लगातार 15.09.2023	रिविजनल सर्वे में खतियान में नाम दर्ज होने तथा लगातार अद्यतन भू–लगान भुगतान करने के दस्तावेजीय साक्ष्यों के साथ दावा किया जा रहा है। यह स्पष्ट है कि उभय पक्ष एक ही पूर्वज के वारिशान हैं। उभय पक्षों के दावे–प्रतिदावे में यद्यपि आवेदक की ओर से टाईटिल सूट नं0–70/2021 एवं बी0एल0टी0 वाद सं0–372/21 की चर्चा की गई है। तथापि उनके द्वारा समर्पित दस्तावेजों से प्रश्नगत भूमि के स्वामित्व का कोई साक्ष्य परिलक्षित नहीं होता है। निम्न न्यायालय ने सुनवाई के दौरान यह पाया है कि तात्कालीन अपर समाहर्त्ता, कटिहार द्वारा जमाबंदी सुधार वाद सं0–206/2017 में दिनांक–12.05.2018 के आदेश फलक में यह स्पष्ट अंकित है कि ''अभिलेखागार से आज मूल R.S. खतियान प्रस्तुत किया गया। प्रश्नगत भूमि का खतियान मो0 इसमाईल, पिता–मो0 अली, टोला–डूमरिया अंकित पाया।'' निम्न न्यायालय ने मामले में उभय पक्षों की सुनवाई करते हुए दस्तावेजीय साक्ष्य के आधार पर सम्यक् विवेचना के साथ विस्तृत मुखर आदेश पारित किया है। आवेदक द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे निम्न न्यायालय आदेश खंडित हो सके। अतः उपर्युक्त के आलोक में निम्न न्यायालय आदेश में किसी प्रकार की हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। समाहर्त्ता, कटिहार द्वारा पारित आदेश को विधिसम्मत् एवं न्यायोचित पाते हुए संपुष्ट किया जाता है। पुनरीक्षण आवेदन अस्वीकृत। इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति निम्न न्यायालय को भेजें। लेखापित एवं शुद्धित। आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ। आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ।	

Web Copy. Not Official.

Web Copy. Not Official.